न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 62/2023 जिला सीकर

1. जगदीश पुत्र हनुमान
2. आंची देवी पत्नी बाबूलाल
3. कुम्भाराम पुत्र सुरजाराम
4. कैलाश पुत्र बोदूराम
5. गुल्ला पुत्र हनुमान
6. घासी पुत्र हनुमान
7. छीतर पुत्र बोदू
8. नेकीराम पुत्र गिरधारी लाल
9. नानूराम पुत्र हनुमान
10. पोखर पुत्र सुरजा
11. मुकेश पुत्र गिरधारी
12. शिम्भूदयाल पुत्र सुरजमल
13. सुनिल पुत्र बाबूलाल
14. सुवालाल पुत्र बोदूराम

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम नांगल तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

—अपीलान्टस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.07.2018 क्रमांक/राजस्व/2018/5671 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर

उपस्थित—

1. वकील अपीलान्ट श्री बंशीधर जाट।
2. रेस्पों. नं. 1 की ओर से श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक —08.08.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 13.07.2018 के खिलाफ दिनांक 13.06.2023 को प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रा. पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर ने प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत 12.02.2018 के द्वारा प्रस्ताव रास्ता प्रचलित एवं पुराना है तथा वर्तमान में प्रचलित रास्ता मौके पर चालू होकर ग्राम रतनुपरा के जीणमाता मंदिर मुख्य सडक से चालू होकर ढाणी पीपलीवाली को जोडते हुए, पूनियों की ढाणी, सरकारी स्कूल से ढाणी बडयाला को जोडते हुए ढाणी डोडवाडियान से ढाणी केरली, ढाणी खेडा का बालाजी, ढाणी पूनियां की, ढाणी महलावान से ग्राम पृथ्वीपुरा की सीमा को जोडता है तथा रतनपुरा मुख्य सडक से ढाणी बाडावाली, ढाणी गंगासिंह, सामोता का ढहर से होकर ढाणी मंगरावाली, मिण्डावाला जोहडा, ढाणी गंगासिंह जाखड से ढाणी मंगरावाली, घासी सामोता से हीरोवाली, ढाणी टीकरियों वाली से, जीतरवालों का खेडा को जोडता है तथा रतनपुरा मिण्डावाली ग्रेवल सडक से ढाणी ोरावतों की व ढाणी अमीनजी वाली को जोडता है। सार्वजनिक हित में काम आ रहा है। आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आने से प्रस्तावित रकबा रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर को भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर ने निर्णय दिनांक 13.07.2018 के द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के दिनांक 12.02.2018 के उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 1919,1675, 1664, 1699, 1344, 1332/4808, 1335, 1336, 1562/2, 1490, 1494, 1995, 1488, 1496, 1499, 1500, 1491, 1038, 1032 लगायत 1035, 996, 1051, 1052, 1073 से 1075, 1069/4766, 1079, 1167, 1170, 1190, 1177, 1188/4788, 1180 लगायत 1184, 1178, 1173, 820, 1931, 2067, 2066, 826, 810, 832, 760, 761, 734, 732, 3709, 3710, 3716, 811, 812, 2070 2144, 2145, 2142, 1670, 1651, 1652, 1649, 1169, 1168, 1945, 2042, 2052, 2053, 2055, 1952, 1956 कुल किता 74 में से जा रहे रास्ते को प्रस्ताव के अनुसार संलग्न सूची व नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुआ। तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर के प्रस्ताव दिनांक 12.02.2018 के अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के खसरा नम्बरों की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये ना0 करण रास्ते के पृथक खसरा नंबर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये एवं नक्शे में तरमीम करने तथा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में रखने तथा तहसीलदार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश के भाग रखने के आदेश दिये गये।

3. उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.07.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर दिनांक 13.07.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलांट के योग्य अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट ग्राम रतनुपरा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राज में स्थित आराजी खसरा नम्बर 820, 826 भूमि अपीलार्थीगण के नाम से खातेदारी एवं काश्तकारी की निजी खातेदारी की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया ना ही कोई नोटिस अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टस को प्रे ित किया गया बिना प्रकरण दर्ज रजिस्टर किये ही तहसीलदार श्रीमाधोपुर की तथाकथित रिपोर्ट के आधार पर उक्त आदेश पारित किया गया है। हल्का पटवारी नाथूसर द्वारा गलत रिपोर्ट तैयार की गई है जबकि मौके पर अपीलान्ट के उक्त खसरा नम्बरान मे कोई रास्ता चालू नहीं है और ना ही उक्त रास्ता आगे अन्य गांव में जाता है। केवल अन्य खातेदारों को लाभ पहुंचाने की नियत से अपीलान्टस के खेत में गलत तरीके से रास्ते का अंकन कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 820, 826 में जो रास्ता दिया गया है उक्त रास्ता न तो पूर्व में मौके पर चालू था ना ही वर्तमान में चालू है। बिना जांच किये ही हल्का पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट तैयार की गई। जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। खसरा नम्बर 820, 826 में से रास्ता काट दिया गया। अपीलान्ट को ना तो सुना गया और ना सुनवाई का अवसर दिया गया। खसरा नम्बर 826 के बीच में से रास्ता काट दिया गया और खसरा नम्बर 820 के तीन तरफ रास्ता काट दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कभी कोई नोटिस नहीं दिया गया। न्याय का यह सामान्य सिद्धान्त है कि कोई कार्यवाही से पूर्व खातेदार को सुना जाना

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

आवश्यकीय है, जिस पहलू पर अधिनस्थ न्यायालय ने विचार न कर निर्णय देने में गम्भीर कानूनी भूल की है। विवादित रास्ते का तहसीलदार जी, पटवारी हल्का, गिरदावर हल्का द्वारा कोई मौका नहीं देखा गयां विद्वान एस.डी.ओ. ने अपीलान्ट को बिना कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एक पक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का जो एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया एक पक्षीय, क्षेत्राधिकार–विहिन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। किसी भी कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार 131, 132 भू–राजस्व अधिनियम एवं लैण्ड रेवेन्यू रिकार्ड रूल्स, 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 के अन्तर्गत किसी खातेदार काबिज रिकॉर्डेड काश्तकार की भूमि से राजस्व रिकार्ड तथा मौके पर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज नहीं कर सकती है। खातेदार काबिज काश्तकार को बिना कोई नोटिस जारी किये ही तथा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एक पक्षीय रूप से कोई कदीमी रूप से चालू व स्थाई या कच्चा रास्ता चालू नहीं होते हुये भी राजस्व रिकार्ड एवं नजरी नक्शे में खातेदार काबिज व्यक्ति की कृषि भूमि में से गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दिया जावे, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस पहलू पर कोई विचार न कर निर्णय देने में सरासर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के विपरीत निर्णय पारित करने में भूल की है । ऐसी स्थिति में भी निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.07.2018 को निरस्त किया जावे। उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 13.07.2018 की जानकारी मिन अपीलान्ट को पूर्व में नहीं थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी पूर्व में नहीं हो सकी सर्वप्रथम दिनांक 20.05.2023 को मौके पर पटवारी हल्का द्वारा नाप जोख करने पर अपीलान्टस द्वारा उक्त नाप जोख का कारण पूछने पर पटवारी हल्का ने उक्त अपीलाधीन आदेश के बारे में बताते हुये रास्ते निकालने की कार्यवाही जानकारी देने पर उक्त अपीलाधीन आदेश नकल हेतु आवेदन 26.06.2023 को करने पर नकल दिनांक 30.05.2023 प्राप्त होने के बाद अधिवक्ताओं की हडताल व कर्मचारियों की हडताल होने के कारण नियत समय में अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी। उक्त परिस्थितियों व कारण वश अपील जानकारी व कानूनी राय व सलाह लेकर यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। मामले में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार निहित है इसलिये मामला गम्भीर प्रकृति का है। ऐसे मामले में मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाये जाने की विधिक मंशा है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुतीकरण में हुआ विलम्बर माफ किया जाकर जानकारी की तिथि से अपील को अन्दर मियाद ुमार किये जाने के आदेश फरमाया जावे। अपीलाधीन भूमि खसरा नम्बर 820 व 826 के खातेदार काश्तकार होकर उक्त आराजी का उपयोग उपभोग कर रहे हैं। उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को न तो पक्षकार बनाया गया ना ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। उक्त अपीलाधीन आराजी के अपीलान्टस के हित निहित है। इसलिये अपील प्रस्तुत किये जाने की ईजाजत प्रदान किया जाना न्यायहित में है। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान करने की कृपा करें।

6. रेस्पों. नं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर सीकर ने प्रचलित रास्तेको राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत 12.02.2018 के द्वारा ग्राम रतनपुरा, पटवार मण्डल नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर के 1919,1675, 1664, 1699, 1344, 1332/4808, 1335, 1336, 1562/2, 1490, 1494, 1995, 1488, 1496, 1499, 1500, 1491, 1038, 1032 लगायत 1035, 996, 1051, 1052, 1073 से 1075, 1069/4766, 1079, 1167, 1170, 1190, 1177, 1188/4788, 1180 लगायत 1184, 1178, 1173, 820, 1931, 2067, 2066, 826, 810, 832, 760,

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned by CamScanner

761, 734, 732, 3709, 3710, 3716, 811, 812, 2070, 2144, 2145, 2142, 1670, 1651, 1652, 1649, 1169, 1168, 1945, 2042, 2052, 2053, 2055, 1952, 1956 कुल किता 74 में से रास्ता प्रचलित एवं पुराना है तथा वर्तमान में प्रचलित रास्ता मौके पर चालू होकर ग्राम रतनुपरा के जीणमाता मंदिर मुख्य सडक से चालू होकर ढाणी पीपलीवाली को जोडते हुए, पूनियों की ढाणी, सरकारी स्कूल से ढाणी बडयाला को जोडते हुए ढाणी डोडवाडियान से ढाणी केरली, ढाणी खेडा का बालाजी, ढाणी पूनियां की, ढाणी महलावान से ग्राम पृथ्वीपुरा की सीमा को जोडता है तथा रतनपुरा मुख्य सडक से ढाणी बाडावाली, ढाणी गंगासिंह, सामोता का ढहर से होकर ढाणी मंगरावाली, मिण्डावाला जोहडा, ढाणी गंगासिंह जाखड से ढाणी मंगरावाली, घासी सामोता से हीरोवाली, ढाणी टीकरियों वाली से, जीतरवालों का खेडा को जोडता है तथा रतनपुरा मिण्डावाली ग्रेवल सडक से ढाणी शेरावतों की व ढाणी अमीनजी वाली को जोडता है। सार्वजनिक हित में काम आ रहा है। आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आने से प्रस्तावित रकबा रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर को भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर के प्रस्ताव दिनांक 12.02.2018 के अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के खसरा नम्बरों की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये ना0 करण रास्ते के पृथक खसरा नंबर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये एवं नक्शे में तरमीम करने तथा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में रखने तथा तहसीलदार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश के भाग रखने के आदेश दिये गये। उनका यह भी कहना है कि यह रास्ता प्रचलित रास्ता है। खसरा नम्बर 820, 826 अपीलान्ट के हैं। स्वंय भी लाभान्वित हैं। इसमें इनके खाते में से भूमि नहीं ली गयी है। उनका कहना है कि मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे, जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी उसे नकल दिनांक 30.05.2023 से प्राप्त होने पर बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर ने प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत 12.02.2018 के द्वारा प्रस्ताव रास्ता प्रचलित एवं पुराना है तथा वर्तमान में प्रचलित रास्ता मौके पर चालू होकर ग्राम रतनुपरा के जीणमाता मंदिर मुख्य सडक से चालू होकर ढाणी पीपलीवाली को जोडते हुए, पूनियों की ढाणी, सरकारी स्कूल से ढाणी बडयाला को जोडते हुए ढाणी डोडवाडियान से ढाणी केरली, ढाणी खेडा का बालाजी, ढाणी पूनियां की, ढाणी महलावान से ग्राम पृथ्वीपुरा की सीमा को जोडता है तथा रतनपुरा मुख्य सडक से ढाणी बाडावाली, ढाणी गंगासिंह, सामोता का ढहर से होकर ढाणी मंगरावाली, मिण्डावाला जोहडा, ढाणी गंगासिंह जाखड से ढाणी मंगरावाली, घासी सामोता से हीरोवाली, ढाणी टीकरियों वाली से, जीतरवालों का खेडा को जोडता है तथा रतनपुरा मिण्डावाली ग्रेवल सडक से ढाणी शेरावतों की व ढाणी अमीनजी वाली को जोडता है। सार्वजनिक हित में काम आ रहा है। आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आने से प्रस्तावित रकबा रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर को भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर ने निर्णय दिनांक 13.07.2018 के द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के दिनांक 12.02.2018 के उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 1919,1675, 1664, 1699, 1344, 1332/4808, 1335, 1336, 1562/2, 1490, 1494, 1995, 1488, 1496, 1499, 1500, 1491, 1038, 1032 लगायत 1035, 996, 1051, 1052, 1073 से 1075, 1069/4766, 1079, 1167, 1170, 1190, 1177, 1188/4788, 1180 लगायत 1184, 1178, 1173, 820, 1931, 2067, 2066, 826, 810, 832, 760, 761, 734, 732, 3709, 3710, 3716, 811, 812, 2070, 2144, 2145, 2142, 1670, 1651, 1652, 1649, 1169, 1168, 1945, 2042, 2052, 2053, 2055, 1952, 1956 कुल किता 74 में से जा रहे रास्ते को प्रस्ताव के अनुसार संलग्न सूची व नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुआ। तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर के प्रस्ताव दिनांक 12.02.2018 के अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के खसरा नम्बरों की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये ना0 करण रास्ते के पृथक खसरा नंबर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये एवं नक्शे में तरमीम करने तथा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में रखने तथा तहसीलदार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश के भाग रखने के आदेश दिये गये। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा निर्णय दिनांक 13.07.2018 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्ता को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। अपीलार्थी के खेत नं. 820 एवं 826 में जिस खसरा से रास्ता फैसल हुआ है, उसमें रास्ते के रकबा को अपीलार्थी की खातेदारी से पृथक नहीं किया गया है, केवल मौका स्थितिनुसार रास्ता का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे, जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है तथा अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर दिनांक 13.07.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/1/2019

(असलम शेर खान)
अति.संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner